

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1625/ग्यारह-9(101)/16-30प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(170)-
2016
लखनऊ: दिनांक:02दिसंबर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में, दिनांक 03दिसंबर, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 123 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
123	टूल्स जिसमें आरी और कन्नी सम्मिलित हैं; चाक(मैनुअल एवं मोटराइज्ड)

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)

प्रमुख सचिव।